न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 222 / 2023 (GCMS No. 2023 / 120)

भादर उम्र 50 वर्ष पुत्र जालिम जाति अहीर (यादव) निवासी अशोक नगर सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।

आवेदक

बनाम

1. रोहिताश पुत्र मुंगाराम
2. धर्मपाल पुत्र मुंगाराम
3. महेन्द्र पुत्र भानाराम
4. श्रवणी पत्नी भानाराम
5. कमलेश पुत्री भानाराम
6. मुकेश पुत्री भानाराम
7. सुमन पुत्री भानाराम
8. शिशराम पुत्र श्योनारायण
9. रणजीत पुत्र श्योनारायण
10. रामसिंह पुत्र श्योनारायण
11. हरिसिहं पुत्र श्योनारायण
12. मुन्नी पुत्री श्योनारायण
13. विजयपाल पुत्र फुलाराम
14. विरेन्द्र पुत्र फुलाराम
15. भगवानी 8देवी पत्नी फुलाराम
16. अनिता कुमारी पुत्री शिम्भुराम
17. अनिता कुमारी पुत्री इन्द्राज
18. अनिल कुमार पुत्र शिम्भुराम
19. गोविन्द कुमार पुत्र शिम्भुराम
20. दलीप पुत्र इन्द्राज
21. प्रदीप पुत्र धन्नाराम
22. बुद्धराम पुत्र प्रभुराम
23. मन्जुदेवी पुत्री रोहिताश
24. मीरा पुत्री शिम्भुराम
25. भादराम पुत्र प्रभुराम
26. रतन कुमार पुत्र शिम्भुराम
27. रेवती देवी पत्नी प्रभुराम
28. राधा देवी पत्नी शिम्भुराम
29. लीलाधर पुत्र प्रभूराम
30. शारदा कुमारी पुत्री इन्द्राज
31. शिशराम पुत्र प्रभुराम
32. सन्जु पुत्री शिम्भुराम
33. सन्तरा पत्नी इन्द्राज

34. सन्तोष देवी पत्नी रणजीत
समस्त जाति अहीर (यादव) निवासीगण अशोकनगर सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
35. सुरेश पुत्र जमनाराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
36. महेन्द्र सिहं पुत्र जमनाराम
37. मुलचन्द पुत्र जमनाराम
38. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मोहल्ला मुगलान जरिये शाखा प्रबन्धक ।
39. केनरा बैंक शाखा गांधी चौक झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक ।
40. झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक ।
41. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लालपुर जरिये शाखा प्रबन्धक ।
42. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज.)

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अप्रार्थी – मोहम्मद रफीक

निर्णय

दिनांक 27.08.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम अशोक नगर पटवार हल्का सोनासर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 694 रकबा 6.42 हैक्टर चाही तथा भूमि खसरा नम्बर 694/2181 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकीन कुआ अवस्थित है जिस पर आवेदक अपने दर्ज हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। वाके ग्राम अशोक नगर पटवार हल्का सोनासर की सरहद में ही भूमि खसरा नम्बर 711 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 700 रकबा 1.08 हैक्टर तथा ख.न. 699 रकबा 1.52 हैक्टर अवस्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 37 है जो इनकी संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है।

आवेदक अपनी भूमि ख0न0 694, 694/2181 में अनावेदकगण 1 लगायत 37 के खेत ख.न. 711, 700, 699 में से होते हुये नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित बिन्दु ए. से बी. तक अपने ऊंट व मवेशियां वगेरह लाता ले जाता रहा है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज नहीं होने से अनावेदक संख्या 1 लगायत 37 उक्त रास्ते में बाधा कारित करने की फिराक में हैं। आवेदक के पास अपनी भूमि मे जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा उक्त रास्ता आवेदक की जोत में पहुंचने के लिये सबसे लघुतम मार्ग भी है।

आवेदक ने अपनी भूमि पर कुआं कर रखा है तथा उसमें उद्यान आदि विकसित करना चाहता है जिसके लिये आवेदक को अपनी भूमि पर बड़ा वाहन ले जाने के लिये आवश्यकता पड़ सकती है इसलिये आवेदक नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए. से बी. तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता कटानी दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं जो कि न्याय संगत है। आवेदक एंव अनावेदकगण 1 लगायत 37 के पूर्वजों के समय से ही आपस में मधुर सम्बन्ध रहे है तथा कभी उक्त रास्ते बाबत आवेदक एंव अनावेदकगण 1 लगायत 37 के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। परन्तु पिछले कुछ समय से अनावेदकगण 1 लगायत 37 आवेदक को उक्त रास्ते से जाने के लिये मना कर रहे है। आवेदक के पास अपने खेत में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है इसलिये भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। इसलिये आवेदक अनावेदकगण 1

लगायत 37 की भूमि ख.न. 711, 700 699 में से नजरी नक्शा में दर्शायें बिन्दु ए से बी तक 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाये जाने का अधिकारी है। आवेदक उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले डी एल सी दर की दुगुनी दर से भुगतान करने के लिये तैयार है।

आवेदक ने जब अनावेदकगण 1 लगायत 37 को अपनी भूमि में जाने वाले रास्ते को 4 मीटर चौड़ाई का कटानी दर्ज करवाने के लिये कहा तो उन्होने रास्ता बिलकुल बन्द करने की धमकी दी तब अपने राजस्व रिकार्ड की नकल लेकर तहसीलदार महोदय से सलाह मशविरा करने पर श्रीमान जी के यहां आवेदन पत्र पेश करने की सलाह देने के रोज उक्त आवेदन पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। खातेदार नाहरसिहं, धुकल, विरेन्द्र तथा सिनगारी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक को अपनी भूमि हाल ख.न. खसरा नम्बर 694 रकबा 6. 42 हैक्टर चाही तथा भूमि खसरा न. 694/2181 रकबा 0.01 हैक्टर वाके ग्राम अशोक नगर में जाने के लिये अनावेदकगण 1 लगायत 37 के खेत हाल ख.न. 711 रकबा 0.23 हैक्टर, ख. न. 700 रकबा 1.08 हैक्टर, ख.न. 699 रकबा 1.52 हैक्टर वाके ग्राम अशोक नगर में से नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दु ए से बी तक 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4, 8 लगायत 15, 23 व 34 की ओर से एडवोकेट मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा पेश किया। अनावेदकगण संख्या 19, 22, 25 लगायत 31 व 36 की ओर से एडवोकेट अमित कुमार ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अनावेदक संख्या 5, 6, 7, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 32, 33, 35, 37 लगायत 41 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 32, 33, 35, 37 लगायत 41 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदक संख्या 1 लगायत 4, 8 लगायत 15, 23 व 34 की ओर से एडवोकेट मोहम्मद रफीक ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 जा.दी. पेश कर कथन किया कि आवेदक भादर के भाई हरफुल पुत्र जालिम, जाति अहीर ने पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था जिसके मु. नं. 94/2013 है जिसमें उक्त भादर बतौर विपक्षी सं. 30 पक्षकार था। आवेदक भादर ने भूमि खसरा नं. 694, 694/2181, 711, 699 की भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि खसरा नं. 711, 700, 699 में से रास्ता दिलवाया जावें। आवेदक भादर के भाई हरफुल ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा उनवानी हरफुल बनाम फुलाराम वगैरह पेश किया था जिसके मु. नं. 94/2013 है जो माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.01. 2016 के द्वारा खारिज कर दिया था जिसके द्वारा भी खसरा नं. 711, 710, 716, 718 में से रास्ता चाहा गया था। उक्त निर्णय दिनाक 22.01.2016 के विरूद्व हरफुल पुत्र जालीम ने एक अपील भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर के समक्ष पेश की। जिसके अपील नं. 18/2016 है जिसका निर्णय दिनांक

12.2016 को किया जाकर उक्त हरफुल की अपील को खारिज फरमा दिया जिसके विरूद्ध उक्त हरफुल ने एक निगरानी नं. 8507/2018 उनवानी हरफुल बनाम फुलाराम पेश कर रखी है जिसमें वर्तमान प्रकरण के आवेदक भादर बतौर अप्रार्थी सं. 30 पक्षकार है जो वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 22.01.2016 को निर्णय पारित कर दिया है। वर्तमान समय में माननीय न्यायालय के समक्ष इसी खसरा नम्बरान की भूमि व रास्ते के विवाद के लिये नया प्रार्थना पत्र पेश किया है। विधि के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी वाद या विवाधक का विचारण नही करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः या सारतः विवाद रहा है जिसका विचारण सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुनाया जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है तो न्यायालय के समक्ष उसी विवाद के लिये नया कोई वाद या प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। ऐसी सुरत में न्यायालय ऐसे प्रकरण का विचारण कर सकता है क्योंकि धारा 11 के अनुसार वर्तमान प्रार्थना पत्र पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित है इसलिये वर्तमानप्रकरा की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। आवेदक का प्रार्थना पत्र पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित है, इसलिये खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र के जवाब में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि आवेदक के भाई हरफुल ने पूर्व में जो प्रार्थना पत्र पेश किया था वह आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते में जो खसरा नम्बर अंकित किये गये है उनसे था या उनमें अन्य खसरा नम्बर भी सम्मिलित थे उक्त तथ्य की जानकारी आवेदक भादर को नहीं है न ही भादर ने उक्त प्रार्थना पत्र में कोई जवाब देही की, जिसके आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र निर्णित हुआ हो। आवेदक के भाई हरफुल व आवेदक के प्रार्थना पत्र के तथ्य अलग–अलग है इसलिये आवेदक के भाई हरफुल के विरूद्व हुये निर्णय से आवेदक के हक अधिकार पर कोई असर नहीं होता है तथा न ही आवेदक को अपने काश्तकारी हितों की रक्षा करने से आवेदक के भाई द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र व अपील के निर्णय और वर्तमान में निगरानी में होने वाला निर्णय भी बाधित करता है प्रत्येक खातेदार के स्वतन्त्र अधिकार है जिसकी पालना करवाया जाना प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है। माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 22.01.2016 को पारित निर्णय आवेदक को अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिये विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्त के अनुरूप न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं करता है। धारा 11 जा.दी. के प्रावधान वहां लागु होते है जहां वाद में विपक्षीगण द्वारा जवाब देही एवं साक्ष्य सबुत पेश करने के बाद न्यायालय द्वारा तनकीयात विरचित कर गुणावगुण पर न्यायालय ऐसे निर्णय पर पहुंचता है जहां विधि का कोई सारवान प्रश्न निर्धारित होना हो तब दुसरा वाद पत्र पेश होने पर उन्हीं पक्षकारों एवं इसी भूमि बाबत दुबारा सुनवाई करने से रोकता है परन्तु अगर पहले व दुसरे वाद पत्र में भिन्नता है तो धारा 11 जा.दी. के प्रावधान लागु नहीं होते। प्रार्थना पत्र अ0धारा 251क आवेदन पत्र है जो वाद की श्रेणी में नहीं आता तथा प्रत्येक खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिये रास्ते की आवश्यकता होती है जिसका निर्धारण करवाने के लिये वह न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित नहीं है इसलिये आवेदक का प्रार्थना पत्र अ.धारा 11 जा.दी. मय कोस्ट खारीज फरमाया जावे।

तहसीलदार की रिपोर्ट :–

तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्र क्रमांक 71 दिनांक 23.01.2024 से अपनी भू0 अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता ख0न0 711, 700, 699 में नक्शे में दर्शित दूरी लघुतम होना बताया है जिसकी लम्बाई 235 मीटर होना बताया है। तहसीलदार मलसीसर ने खेत ख0न0 694 में पहूंचने हेतु प्रस्तावित रास्ता लघुतम तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है।

बहस:–

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4, 8 लगायत 15, 23 व 34 को बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4, 8 लगायत 15, 23 व 34 को काफी समय दिये जाने के बाद भी बहस हेतु उपस्थित नहीं आये, ना ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क का जवाब पेश किया। बहस हेतु अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4, 8 लगायत 15, 23 व 34 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. व बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क श्रवण की गई।

बहस प्रार्थना पत्र धारा 11 जा.दी. :–

सर्वप्रथम बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. सुनी गई विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी (प्रार्थी) ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र अ0धारा 251क आवेदन पत्र है जो वाद की श्रेणी में नहीं आता। धारा 11 जा.दी. के प्रावधान वाद पत्र पर लागु होते है जहां वाद में विपक्षीगण द्वारा जवाब देही एवं साक्ष्य सबुत पेश करने के बाद न्यायालय द्वारा तनकीयात विरचित कर गुणावगुण पर वाद पत्र का अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है तब उन्हीं पक्षकारों एवं इसी भूमि बावत दुबारा वाद पत्र पेश होने पर सुनवाई करने से रोकता है परन्तु अगर पहले व दुसरे वाद पत्र में भिन्नता है तो धारा 11 जा.दी. के प्रावधान लागु नहीं होते। चूंकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क वाद की श्रेणी में नहीं आता है तथा ना ही पूर्व प्रार्थना पत्र में भादर ने कोई जवाब देही की जिसके आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र निर्णित हुआ हो। आवेदक के भाई हरफुल व आवेदक के प्रार्थना पत्र के तथ्य अलग–अलग है इसलिये आवेदक के भाई हरफुल के विरूद्व हुये निर्णय से आवेदक के हक अधिकार पर कोई असर नहीं होता है तथा न ही आवेदक को अपने काश्तकारी हितों की रक्षा करने से आवेदक के भाई द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र व अपील के निर्णय और वर्तमान में निगरानी में होने वाला निर्णय भी बाधित करता है। धारा 251क प्रत्येक खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिये रास्ते के प्रावधान के लिये स्वतन्तत्रा प्रदान करता है। जिसका निर्धारण करवाने के लिये वह न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क :–

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ख0न0 694, 694/2181 में काबिज काश्त है जिसमें आने जाने के लिये ख0न0 700, 711, 699 में से रास्ते का उपयोग करता आ रहा है परन्तु उक्त रास्ता कटानी दर्ज नहीं है इसलिये अनावेदगण कभी भी उक्त रास्ते में बाधा कारित कर सकते है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में ख0न0 694 में पहुंचने के लिये राजस्व रिकार्ड में कोई कटानी रास्ता दर्ज नहीं होना अंकित किया है साथ ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना भी दर्ज है। इसलिये ख0न0 700, 711 व 699 में से सलंग्न नजरी नक्शा अथवा तहसीलदार मलसीसर द्वारा प्रस्तावित रास्ते में से कोई एक रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।

विधि में धारा 251क के प्रावधान :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. :–

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित होना बताकर वर्तमान प्रकरण की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा नहीं किये जा सकने का प्रश्न न्यायालय के समक्ष उठाया है। धारा 11 जा.दी. जो कि इस प्रकार है :–

"पूर्व न्याय — कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक बाद में उठाया गया है, विचारण करने में सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।"

धारा 11 जा.दी. का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि धारा 11 जा.दी. के प्रावधान वाद पत्र पर लागु होते है प्रार्थना पत्र पर नहीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट अंकित है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे।

यहां शब्द कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है तो वह संबंधित उपखण्ड अधिकारी के यहां आवेदन कर सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी स्वयं एक अभिधारी है। हरफूल एक अलग अभिधारी है। इसलिये हरफुल के प्रार्थना पत्र पर हुये निर्णय से अन्य अभिधारी प्रभावित नहीं है। हरफुल के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के निर्णय दिनांक में स्पष्ट अंकित है कि पगडंडी चालु है अर्थात यह तथ्य सिद्व है कि मौके पर पगडंडी के रूप में रास्ता मौजुद है। निर्णय में "धारा 251क के अन्तर्गत गै0मु0 आबादी भूमि में से रास्ते का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है" का अंकन है। निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र आबादी भूमि में से रास्ता चाहे जाने से खारिज हुआ है ना कि कृषि भूमि से रास्ता चाहे जाने पर गुणावगुण के आधार पर खारिज हुआ है। मौजुदा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने कृषि भूमि से रास्ता चाहा है जो धारा 251क के प्रावधान के अनुरूप है। इसलिये न्यायालय इस बात से सहमत नहीं है कि धारा 11 जा.दी. के प्रावधान मौजुदा प्रार्थना पत्र पर लागु होते है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. मौजुदा प्रार्थना पत्र पर पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251कः–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 694 में आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 694 में पहुंचने के लिये राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता दर्ज नहीं है। नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता लधुतम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 19, 22, 25 लगायत 31, 36 जो कि ख0न0 700, 711, 699 में सह खातेदार है, ने इकबाली जवाब पेश कर उक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थी द्वारा चाहा गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता कटानी दर्ज करने में सहमत है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 694 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 711, 700, 699 में से तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के साथ नक्शे में दर्शित 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 700, 711, 699 में रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदक से वसूल कर ख0न0 700, 711, 699 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2023 आदेश का भाग रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर